ग्राम पंचायत कोटगढ़, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2016 से 31/3/2018
भाग -1

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्धारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र., को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत कोटगढ़, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्धारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

(i) प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री कैलाश चन्द	01.04.2016 से 31.03.2018 तक

(ii) सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री राजेश	1.4.2016 से 31.3.2018 तक

(ख) गम्भीर अनियमितता का सार:- ग्राम पंचायत कोटगढ़ के अवधि 1/4/2016 से 31/3/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र0 सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में

1	पंचायत के खाता “ख” से अर्जित ब्याज की राशि को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना	6	0.67
2	पंचायत राजस्व की वसूली न करना	7	0.66
3	विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों,Must roll का नकद भुगतान नकद रोकड़ में किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना	10	2.69
4	अनुदानों की राही का उपयोग न करना	12	18.86
5	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय करना	13	2.01
6	क्रय किए गई स्थाई एवं अस्थाई मदों की भंडार रजिस्टरों में प्रविष्टि न करना	14	5.59

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है I प्राय: यह देखने में आया हैं की गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्धारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय हैं। अत: पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु तुरन्त ठोस कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.13 से 31.03.16

क्रम स०	पैरा स०	स्थिति	टिप्पणी
1	3	निर्णीत	दिनांक 7.3.2017 को भेजने पश्चात
2	4 (क)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
3	4 (ख)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
4	5 (क)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
5	5 (ख)	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
6	6	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
7	7	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
8	8	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
9	9	अनिर्णीत	
10	10	अनिर्णीत	
11	11	अनिर्णीत	
12	12	अनिर्णीत	
13	13	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
14	14	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
15	15.1	अनिर्णीत	
16	15.2	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
17	15.3	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
18	15.4	निर्णीत	वर्तमान स्थिति अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित है
19	15.5	अनिर्णीत	
20	15.6	अनिर्णीत	

21 15.7 अनिर्णीत

भाग -2

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत कोटगढ़, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 1/4/2016 से 31/3/2018 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्धारा अवधि 3.1.2019 से 8.1.2019 तक के दौरान ग्राम पंचायत के कोटगढ़ स्थित कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2016-17	4/16	1/17
2017-18	9/17	1/18

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्धारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्धारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत कोटगढ़, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹5000 आँका गया I वर्णित अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर- 232/19 दिनांक 8.1.2019 द्धारा सचिव, ग्राम पंचायत, कोटगढ़ से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव,ग्राम पंचायत कोटगढ़ द्धारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA व 14th Finance Commission, IWMP (Water Shed) के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था तथा साथ ही बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था । इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय व्यय के सम्बन्ध में खाता बही (Ledger Accounts) भी नहीं बनाए

गए थे । जिसके अभाव में प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय, व्यय को अलग–अलग नहीं किया जा सका। ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट–1"** पर भी दिया गया है:-

Financial Position Of Gram Panchyat Kotgarh

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त: शेष (₹)
2016-17	497326.86	3352296.00	63159.00	3912781.86	1413471.00	2499310.86
2017-18	2499310.86	2099253.00	96895.00	4695458.86	2555665.17	2139793.69

5 **(क) रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना**

ग्राम पंचायत **कोटगढ़** की रोकड़ बही का अवलोकन करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

(ख) पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में ₹1.44 लाख के अन्तर को स्पष्ट न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 को पंचायत निधि एवं GIA की रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंतिम शेष में निम्न विवरणानुसार **₹144454.75** का अन्तर दर्शाया गया था। जिसे अंकेक्षण को स्पष्ट नहीं किया गया जोकि गम्भीर अनियमितता हैI अतः पूर्ण छानबीन उपरान्त इस अन्तर बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर–229/2019 दिनांक 3.1.2019 के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या

01/2019 दिनांक 04.01.2019 द्धारा सूचित किया गया कि यह अंतर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण है जिसे तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिया जाएगा:-

Particulars		Amount (₹)
Balance as per Cash Book (General Cash Book) as on 31.3.18		**1259130..86**
Bank Balance as on 31.3.18		
Bank Account No. 3831 (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate)	654481.80	
Bank Account No. 2755(General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate)	95009.06.00	
Bank Account No. 0057 (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate)	142902.75.00	
Bank Account No. 3117 (General Cash Book) (Balance as per Bank Certificate)	511192.00	
Total	**1403585.61**	**1403585.61**
Difference in closing Balance		**144454.75**

6 पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज ₹0.69 लाख को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्धारा खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्व: संसाधनों के खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता **"ख"** में जमा राशि पर निम्न विवरणानुसार अर्जित ब्याज ₹**66929** को खाता **"क"** में अन्तरित नहीं किया गया था जोकि अनियमित है । अत: वर्णित अनियमितता का औचित्य करते हुये, खाता **"ख"** में जमा राशि पर अर्जित ब्याज राशि को खाता **"क"** में अन्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

अवधि 01.04.16 से 31.03.18 के दौरान खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned (₹)
2016-17	14th Finance Commission	14944
2017-18	14th Finance Commission	51985
	Total	**66929**

7 पंचायत राजस्व ₹0.66 लाख वसूली हेतु शेष

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का उपलब्ध संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्धारा **परिशिष्ट-2** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2018 को ₹66130 पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष था। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्णित बकाया राजस्व राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

8 रोकड़ बही में लेखांकित ₹3.46 लाख की प्राप्त आय के सम्बन्ध में नियमानुसार रसीद जारी न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्धारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्धारा फार्म-3 में उस प्राप्ति की रसीद जारी किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण के दौरान पाया गया निम्न विवरणानुसार अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के दौरान **₹345750** की प्राप्त आय की सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा कोई रसीद जारी नहीं की गई थी, जोकि अनियमित है। अत: वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा प्राप्त आय की उचित प्रपत्र पर रसीद जारी किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी

Date/month of Receipt	Cash Book Page no.	Amount (₹)	From Where Amount Received
12.9.2017	43	250000	D.P.O Shimla
2.10.2017	44	22350	D.P.O Shimla
15.11.2017	45	20150	D.P.O Shimla
06.01.2018	47	53250	D.P.O Shimla
	Total	**345750**	

9 **निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना**

पंचायत की रोकड़ बहियों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट -3** में दिये गए विवरणानुसार हस्तगत रोकड़ राशि को निर्धारित सीमा अर्थात ₹1000 से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत रोकड़ राशि रखने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत रोकड़ रखने से परिहार किया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

10 **विभिन्न मदों की खरीद एवं निर्माण कार्यों, Must roll भुगतान हेतु ₹2.69 लाख का नकद भुगतान किये जाने के कारण दुर्विनियोजन की सम्भावना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार ₹1000 से अधिक राशि का भुगतान बैंक चैक द्वारा संबन्धित व्यक्ति/फर्म को किया जायेगा। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न व्ययों वाऊचरों, बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils की पड़ताल करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा ₹269285 की राशि के व्यय वाऊचरों/Must roll का भुगतान बैंक चैक द्वारा सीधे प्राप्तकर्ता को न करके पंचायत प्रधान/सदस्य को किया दर्शाया गया था। अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि व्यय वाऊचरों पर तो भुगतान बैंक चैक संख्या अंकित करके चैक द्वारा ही दर्शाया गया था जबकि बैंक पास बुकों और चैक बुकों की Counterfoils के अनुसार सभी बैंक चैक पंचायत प्रधान और पंचायत सदस्यों के नाम जारी किए गए थे, जिसका विवरण संलग्न **परिशिष्ट– 4** पर दिया गया हैं। बैंक चैक को संबन्धित व्यक्ति के नाम जारी करने की

अपेक्षा पंचायत प्रधान/सदस्य के नाम जारी करने से भुगतान की गई राशि के दुर्विनियोजन होने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । अत: नियमों के प्रतिकूल भुगतान बैंक चैक सीधे प्राप्तकर्ता व्यक्ति के नाम जारी न करके पंचायत प्रधान/सदस्य के नाम जारी किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इन सभी भुगतानों की सत्यता की पड़ताल विभागीय तौर पर करके नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त भविष्य में सभी भुगतान सीधे प्राप्तकर्ता के नाम जारी बैंक चैक से ही किए जाने भी सुनिश्चित किए जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

11 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भते) नियम 37 में वर्णित प्रावधानानुसार फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Book of Gram Panchyat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म –11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाएI इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगीI

12. अनुदानों की राशि ₹18.86 लाख उपयोग हेतु शेष

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में यथा **परिशिष्ट-5** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को कुल **₹1886462** की अनुदान राशि उपयोग हेतु शेष थी I अत: अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये वर्णित अनुपयोग अनुदानों का सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके निर्धारित उदेश्यों हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रर्त्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए. तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण

को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

13 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹2.01 लाख का अनियमित व्यय करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता है । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट–6"** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹**201426** का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया था, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

14 **क्रय किए गए ₹5.59 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार मदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां न करना**

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार को उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है । अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के दौरान क्रय की गई ₹559291 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण **"परिशिष्ट–7"** में दिया गया है, को भण्डार रजिस्टरों में दर्ज नहीं किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है तथा ऐसे में मदों के दुर्विनियोजन होने की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019

के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

15 नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.37 लाख का अनियमित भुगतान करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1),(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्धारा किए गए सभी प्रकार के भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्धारा सत्यापित किया जायेगा। अंकेक्षण में अवधि 01.04.16 से 31.03.18 के दौरान **परिशिष्ट-8** में दिए गए विवरणानुसार **₹37400 के** भुगतान बिलों की जाँच करने पर पाया गया कि वर्णित भुगतान को ग्राम पंचायत प्रधान द्धारा सत्यापित नहीं किया गया था, और न ही भुगतान बिल पर पंचायत प्रस्ताव संख्या अंकित की गई थी जोकि उक्त वर्णित नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना करवाई जानी सुनिश्चित की जाएI इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

16 मानदेय के रूप में ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा तथा यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता है तो उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा । अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान का ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरणों में निर्वाचित सदस्यों को ₹1200 के मानदेय का अधिक भुगतान किया गया था। अत: बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की उचित

स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी:-

Excess payment of Honorarium to Panchyat Members.

Name of Member	Date of Meeting for which payment was made	Amount Paid (₹)	Remarks
Smt. Leela devi	12.9.2016	200.00	Member was absent as per Minutes Book
Sh. Ajay Sain	12.9.2016	200.00	Member was absent as per Minutes Book
Sh. Ajay Sain	25.10.2016	200.00	Member was absent as per Minutes Book
Sh. Vijay Bhardwaj	25.10.2016	200.00	Member was absent as per Minutes Book
Smt. Sunita	25.10.2016	200.00	Member was absent as per Minutes Book
Sh. Vijay Bhardwaj	8.3.2016	200.00	Member was absent as per Minutes Book
	Total	**1200.00**	

17 I.W.M.P. (हरयाली) निधि से ₹3.00 लाख का सामान्य निधि हेतु अनियमित हस्तांतरण करना

अंकेक्षण के दौरान I.W.M.P. (हरयाली) निधि की रोकड़ बही व बैंक खाते की पड़ताल पर पाया गया कि पंचायत द्धारा दिनांक 1.5.2017 को I.W.M.P. (हरयाली) निधि के यूनियन बैंक खाता संख्या 9004 से ₹300000 की राशि बिना किसी औचित्य के सामान्य निधि के HDFC बैंक खाता संख्या 3117 को हस्तांतरण की गई व तत्पश्चात सामान्य निधि से ही निम्न विवरण अनुसार ₹127881 की राशि I.W.M.P. (हरयाली) के विकास कार्य हेतु व्यय की गई थी जोकि अनियमित है क्योंकि नियमानुसार जिस निधि से विभिन्न विकास कार्य हेतु व्यय किया जाना है उसका भुगतान भी उसी निधि से किया जाना अपेक्षित है I इस अनियमितता के कारण वर्तमान अवधि तक I.W.M.P. (हरयाली) निधि से सम्बन्धित राशि ₹172119 (₹300000-₹127881) सामान्य निधि में शेष जमा है I जिसका हस्तांतरण वापिस I.W.M.P. (हरयाली) निधि में किया जाना सुनिश्चित किया जाए

तदानुसार अनुपालाना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इसके अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर रोक लगाई जानी भी सुनिश्चित की जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी:–

Name of Month in which expenditure of IWMP made from General Fund	**Cash Book Page no of General Cash Book**	**Amount of IWMP Expenditure Made from General Fund (₹)**	**Remarks**
6/17	40	71000	Expenditure of IWMP made from Gen. Fund
7/17	41	3119	– Do-
8/17	42	6825	-Do-
10/17	44	3150	-Do-
11/17	45	39000	Do-
12/17	46	4787	Do-
	Total	**127881**	

18 विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया जाना अनिवार्य है। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाय जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़–2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी:–

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फॉर्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30

3	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
4	विभिन्न अनुदानों के खाते(Ladgers)	7	29(1)
5	वर्गीकृत सार (Classified Abstract)	8	29(4)
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
9	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19 भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्धारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था जोकि अनियमित है जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

20 विविध अनियमितताएं

(i) रोकड़ बही का नियमानुसार लेखांकन न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की प्राप्त आय और अनुदानों को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड – A और पंचायत फ़ंड –B होगे। पंचायत फ़ंड –A में ग्राम पंचायत की स्व: स्त्रोत आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड –B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्धारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय–व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्व: स्त्रोत आय और विभिन्न अनुदानों को विभिन्न बैंक खातों में तदानुसार ही जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड – A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड – A और पंचायत फ़ंड –B के अनुसार ही रोकड़ बही का भी लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:–

General Cash Book	इस रोकड़बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than 14thFinance Commission, MANGERGA, एवं Water shed) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for 14thFinance Commission	इस रोकड़बही में 14thFinance Commission से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for IWMP (Water Shed)	इस रोकड़बही में IWMP (Water Shed) से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत **कोटगढ़** द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में हस्तगत रोकड़ (Cash in hand) के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए जाने बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(iii) खाता बहियों (Ledgers) का रख रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ-2 फार्म -7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य है, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(iv) हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण किया जाना अनिवार्य है, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण नहीं किया गया था। वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार वर्गीकृत सार (Classified Abstract) का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(v) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) गठित किये जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 01.04.16 से 31.03.18 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत **कोटगढ़** द्वारा गठित नहीं की गई थी। अत: नियम 93(ए) (1) के अंतर्गत अनुभागी समिति गठित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण से को अवगत करवाया जाए।

(vi) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत **कोटगढ़** द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया गया था। इस प्रकार रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए रसीदों को जारी करते समय इसकी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I

(vii) **मनरेगा** से संबन्धित अभिलेखों की अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 01.04.16 से 31.03.18 के दौरान **मनरेगा** से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था। इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया गया था । अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या आर-233/2019 दिनांक 8.1.2019 के प्रतिउत्तर में संस्था ने पत्र संख्या कोटगढ़-2/2019 दिनांक 8.1.2019 द्वारा सूचित किया कि उपरोक्त इस बारे नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी I

21 **लघु आपति विवरणिका:-** यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान स्थल पर ही कर लिया गया था।

22 **निष्कर्ष:-** लेखों मे सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/-

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(i)4/2016 खण्ड–1–3315–3318 दिनांक 08.04.2019 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत कोटगढ़, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतरएक माह के भीतर इस विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

Sr.No	**Period**	**Total Expenditure out of Municipal Fund**	**Expenditure on Establishment**	**% of Establishment Expenditure to the Total Expenditure out of Municipal Fund**	**Admissible expenditure on Establishment i.e 1/3rd of total Expenditure out of Municipal Fund**	**Irregular Expenditure on Establishment out of Municipal Fund**	**Remarks**
1	2016-17	2617182/-	3249843/-	124.17%	872394/-	2377449/-	**Rs 1578069 salary Exp Made From G.I.A**
2	2017-18	3095278	3668558	118.52	1031759	2063519	**Rs 1454083 salary Exp Made From G.I.A**
Total						**4440968**	